न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– बाबुलाल जाट (R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या :– 53 / 2019 **(RCMS No. 2019/00099)**

वादी

1. गंगादेवी पत्नी भंवरलाल जाति रैगर उम्र 55 वर्ष निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

बनाम

प्रतिवादीगण

1. खेताराम पुत्र मांगीलाल जाति रैगर निवासी लिचाणा तहसील नावां जिला नागौर
2. सोहन पुत्र दयाराम जाति रैगर निवासी रेगरपाड़ा बड़ा तहसील व जिला दौसा राज.
3. उमाराम पुत्र उगमाराम जाति मेघवंशी निवासी रिक्शा बास धनकोली तहसील डीडवाना जिला
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) कुचामनसिटी जिला नागौर राज.

दावा बंटवारा होल्डिंग व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री अशोकपुरी अधिवक्ता वादी की ओर से।

श्री ऋषभ शर्मा अधिवक्ता प्रति. सं. 1 एवं 2 की ओर से।

निर्णय

दिनॉक :– 04/02/2020

वकुलाय उपस्थित। उभय पक्षकारान ने बहस कर कथन किया कि वाद पत्र में प्राथमिक डिक्री तहसीलदार कुचामन सिटी से प्राप्त हो चुकी है माफिक बंटवारा स्कीम के अन्तिम डिक्री फरमावें। वकील वादी की बहस पर वाद पत्र मे जारी प्राथमिक डिक्री दिनॉक 22.11.2019 में तहसीलदार कुचामनसिटी से बंटवारा स्कीम मंगवाई गई। तहसीलदार कुचामनसिटी के बंटवारा स्कीम पत्रांक भू0अ0 / 2019 / 2326 दिंनाक 24.12.19 के द्वारा भिजवाई गई बंटवारा स्कीम शामिल मिसल उपलब्ध है। उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की अन्तिम डिक्री पर बहस सुनी गई तथा संलग्न प्राथमिक डिक्री व तहसीलदार से प्राप्त बंटवारा स्कीम का अवलोकन करने से न्यायालय का मत है कि वादी का वाद काबिल अन्तिम डिक्री पाया जाने से निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 12:15:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

आदेश

वाद निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाकर निम्नवत वादी एवं प्रतिवादी 1 से 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है :–

ग्राम	ख.नं.	कुल रकबा	हक हिस्सा				
			गंगादेवी पत्नी भंवरलाल रेगर कुचामनसिटी	खेताराम पुत्र मांगीलाल रेगर लिचाणा	सोहन पुत्र दयाराम रेगर नि. रेगरपाडा तह.दौसा	उमाराम पुत्र उगमाराम मेघवंशी नि. रिक्शा बास धनकोली	शामलाती रास्ता
दीपपुरा	261	1.84	0.87	0.0800	0.80	0.0350	0.0550
	468 / 207	0.32	0.16	—	0.16	—	—

बंटवारा स्कीम निर्णय का भाग रहेगी। अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो। बंटवारा पर देय स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनॉक 04/02/2021 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(बाबुलाल जाट R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 12:15:17 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः उपखण्ड अधिकारी मुकाम : कुचामन सिटी

बइजलास : बाबुलाल जाट (R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या :– 53/2019 **(RCMS No. 2019/00099)**

वादी

1. गंगादेवी पत्नी भंवरलाल जाति रैगर उम्र 55 वर्ष निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. खेताराम पुत्र मांगीलाल जाति रैगर निवासी लिचाणा तहसील नावां जिला नागौर
2. सोहन पुत्र दयाराम जाति रैगर निवासी रेगरपाड़ा बड़ा तहसील व जिला दौसा राज.
3. उमाराम पुत्र उगमाराम जाति मेघवंशी निवासी रिक्शा बास धनकोली तहसील डीडवाना जिला नागौर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) कुचामनसिटी जिला नागौर राज.

दावा बंटवारा होल्डिंग व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री अशोकपुरी अधिवक्ता वादीगण की ओर से हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू–बरू .... मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है **वाद निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाकर निम्नवत वादी एवं प्रतिवादी 1 से 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है :–**

ग्राम	ख.नं.	कुल रकबा	हक हिस्सा				
			गंगादेवी पत्नी भंवरलाल रेगर कुचामनसिटी	खेताराम पुत्र मांगीलाल रेगर लिचाणा	सोहन पुत्र दयाराम रेगर नि. रेगरपाडा तह.दौसा	उमाराम पुत्र उगमाराम मेघवंशी नि. रिक्शा बास धनकोली	शामलाती रास्ता
दीपपुरा	261	1.84	0.87	0.0800	0.80	0.0350	0.0550
	468/207	0.32	0.16	–	0.16	–	–

बंटवारा स्कीम निर्णय का भाग रहेगी। अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो। बंटवारा पर देय स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

निज .... मुबलिग .... बाबत...................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 04 माह 02 सन् 2020 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			[illegible]किल		
महन्ताना वकिल			[illegible]		
खर्चा गवाहन			[illegible]		
फिस कमिश्नर			[illegible] इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मु[illegible]क		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 12:15:17 IST
Reason: SelfAttested

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक :- 23-12-19

श्रीमान तहसीलदार साहब कुचामनसिटी के आदेश क्रमांक/भू० अ०/23 दिनांक 9-12-19 एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी के आदेश क्रमांक/राजस्व/2019/218 दिनांक 22-11-19 के राजस्व वाद नं. 53/2019 गंगादेवी बनाम भंवरलाल रैगर वगैरह में पारित प्राथमिक डिक्री निर्णय दिनांक 22-11-19 के मुताबिक ग्राम डीपपुरा के ख.नं. 261 रकबा 1.84 हे०, ख.नं. 468/207 रकबा 0.32 हे कुल रकबा 2.16 हे० भूमि का नजरी नक्शा अनुसार निम्न प्रकार से है। ——

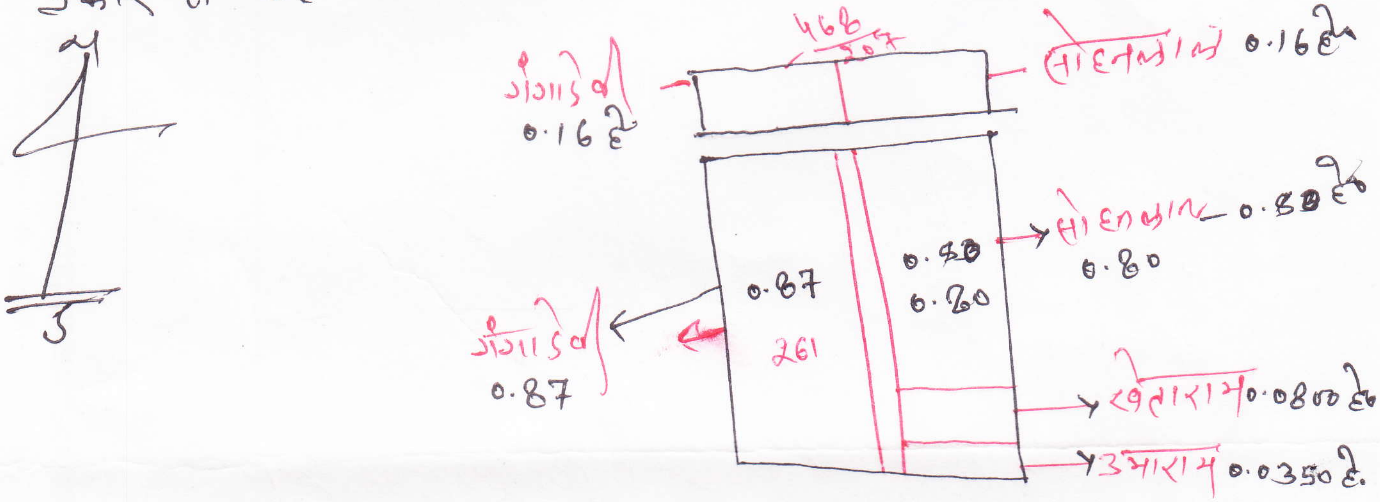

1. वादी गंगादेवी प. भंवरलाल जाति रैगर सा. कुचामनसिटी के नाम ख.नं. 261 रकबा 0.87, ख.नं. 468/207 रकबा 0.16 हे० कुल रकबा 1.03 हे
2. प्रतिवादी खेताराम पुत्र मांगीलाल जाति रैगर सा. लिचाना के नाम ख.नं. 261 रकबा 0.0800 हे० भा० 3
3. प्रतिवादी सोहन पुत्र दयाराम जाति रैगर सा. रैगरपाड़ा बड़ा तह. व जिला दौसा ख.नं. 261 रकबा 0.80 हे० ख.नं. 468/207 रकबा 0.16 हे० कुल रकबा 0.96 हे०
4. प्रतिवादी उमाराम [illegible] सा. रिछ्याबास धनकोली तह. डीडवाना [illegible] रकबा 0.0350 हे० भा० 3
5. शामलाती भूमि रास्ते के लिए ख०नं० 261 रकबा 0.0550 भा० 3

उक्त नजरी नक्शा अनुसार बँटवारा स्कीम प्राथमिक डिक्री की पालना अनुसार वादी, प्रतिवादी के खसरा तैयार कर फर्द पढ़कर सुनायी गयी खसरा मोतमिरान के हस्ताक्षर करवाये गये। /

[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 12:15:17 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला (नागौर)

क्रमांक / राजस्व / 2020 / 268 दिनॉकः– 4/12/2020

प्रेषित :– तहसीलदार

कुचामनसिटी

विशय :–राजस्व वाद सं. 53/2019 गंगादेवी बनाम भंवरलाल रैगर वगैरह में पारित अंतिम डिक्री आदेश की पालना बाबत

---X-X-X--

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय के राजस्व वाद संख्या 53/2019 गंगादेवी बनाम भंवरलाल में पारित अंतिम डिक्री आदेश की प्रति भिजवाई जा रही है। माफिक अंतिम डिक्री आदेश अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करते हुए नक्शे में तरमीम कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करे।

सलंग्नः–उपरोक्तानुसार।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी(नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 12:15:17 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 12:15:17 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2020.02.28 12:53:03 IST
Reason: SelfAttested
Location: